न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 156/2019

डॉ0 जितेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र लक्ष्मण सिंह, वार्ड न0 17, सुलताना, तहसील चिडावा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 30.10.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 30.09.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 156/2019 पर दिनांक 30.09.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019 /1437–38 दिनांक 01.10.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक उपखण्ड/ आरटीआई/ 2019/ 570 दिनांक 23.10.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक न्याय/19/349 दिनांक 23.09.2019 तथा इस कार्यालय के पत्र कमांक न्याय/19/535 दिनांक 18.10.19 को जरिये रजिस्टर्ड डाक के भिजवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई उनके कार्यालय पत्रांक न्याय/19/349 दिनांक 23.09.2019 तथा उनके कार्यालय के पत्र कमांक न्याय/19/535 दिनांक 18.10.19 को जरिये रजिस्टर्ड डाक के भिजवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू

जिला कलेक्टर झुंझुनू